खीमसिंह व अन्य बनाम पुनमसिंह व अन्य
प्रकरण संख्याः–75 / 2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–08 / 10 / 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

(पीठासीन अधिकारीः– श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्या –75 / 2023 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 04 / 08 / 2023
निर्णय दिनांक– 08 / 10 / 2025

अनवान

1. खीमसिंह पिता खंगारसिंह रावत निवासी आठोलिया (कुशलपुरा) तहसील भीम जिला राजसमन्द।
2. लुम्बसिंह पिता खंगारसिंह रावत निवासी आठोलिया (कुशलपुरा) तहसील भीम जिला राजसमन्द।
3. भंवरसिंह पिता खंगारसिंह रावत निवासी आठोलिया (कुशलपुरा) तहसील भीम जिला राजसमन्द।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पुनमसिंह पिता गेनसिंह रावत निवासी आठोलिया पंचायत कुशलपुरा, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
2. भंवरसिंह पिता गेनसिंह रावत निवासी आठोलिया पंचायत कुशलपुरा, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
3. चरणसिंह पिता नेनुसिंह रावत निवासी आठोलिया पंचायत कुशलपुरा, तहसील भीम जिला राजसमन्द। **विलोपित**
4. मोटसिंह पिता ज्ञानसिंह रावत निवासी आठोलिया पंचायत कुशलपुरा, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
5. राजुसिंह पिता मिठुसिंह रावत निवासी आठोलिया पंचायत कुशलपुरा, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
6. विरमसिंह पिता भुरसिंह रावत निवासी आठोलिया पंचायत कुशलपुरा, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
7. तहसीलदार देवगढ़ राज्य सरकार प्रतिनिधि।

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

खीमसिंह व अन्य बनाम पुनमसिंह व अन्य
प्रकरण संख्याः–75 / 2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–08 / 10 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जेशुदा व सामलाती जमीन ग्राम कालागुन पटवार सर्कल ताल तहसील देवगढ़ की सीमा में खाता संख्या 49 खसरा संख्या 773, 774, 776, 778, 787, 789 कुल किता 06 कुल रकबा 1.6400 हैक्टेयर भूमि आराजियात में प्रार्थी संख्या 01 व 02 संयुक्त खातेदार है। एवं खाता संख्या 231 खसरा संख्या 788 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा संख्या की भूमियों की अब तक प्रार्थीगणों ने पत्थरगढ़ी नहीं कराई है। मौके पर प्रार्थीगण की भूमियों से विपक्षी संख्या 01 से 06 की भूमियां मिली हुई है व उपरोक्त आराजियात के पडौसी है जिसकी पत्थरगढ़ी नहीं कराई है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खाते व कब्जे की जमीन व विपक्षीगण की जमीन मौके पर मिली हुई है परन्तु प्रार्थीगण की जमीन की पत्थरगढ़ी नहीं कराई गई है जिससे विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 जो प्रार्थीगण की जमीन की सीमा के संबंध में विवाद करते हैं और कभी वो लोग प्रार्थीगण की जमीन की पाली को नुकसान पहुंचाते है व फसल बोते समय भी विपक्षीगण प्रार्थीगण की उक्त जमीन की सीमा का विवाद होता है और इस समस्या का स्थाई समाधान प्रार्थीगण की उक्त जमीनों की पत्थरगढ़ी कराने से ही हल हो सकता है। प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 01 से 06 का भी यही कहना है कि तुम अपनी जमीन की पत्थरगढ़ी करा लो और पत्थरगढ़ी से तुम्हारी जमीन की जो सीमा कायम होगी उससे हम लोग पाबंद रहेंगे। जिससे भी प्रार्थीगण को अपनी उक्त जमीनों की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। इस प्रार्थना पत्र का कारण अन्त में दिनांक 10 / 01 / 2023 को स्थान कालागुन तहसील देवगढ़ में प्रार्थीगणों की उक्त जमीनों की सीमा संबंधी विपक्षीगण द्वारा विवाद करने से ग्राम कालागुन तहसील देवगढ़ में पैदा हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 01 व 02 की कालागुन पटवार सर्कल ताल तहसील देवगढ़ की सीमा में प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि की पत्थरगढ़ी जरिये नपती नियमानुसार मौके पर नायब तहसीलदार देवगढ़ को भिजवाया जाकर कराई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 04, 05 एवं 06 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

गये। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 का नाम अप्रार्थी पक्षकार के रूप में से हटाने बाबत् निवेदन किये जाने से अप्रार्थी संख्या 03 का नाम अप्रार्थी पक्षकार से हटाया गया। अप्रार्थी संख्या 07 के विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गई है। जिससे जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम कालागुन पटवार सर्कल ताल तहसील देवगढ़ की सीमा में खाता संख्या 49 खसरा संख्या 773, 774, 776, 778, 787, 789 कुल किता 06 कुल रकबा 1.6400 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 231 खसरा संख्या 788 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0300 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

खीमसिंह व अन्य बनाम पुनमसिंह व अन्य
प्रकरण संख्याः–75/2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–08/10/2025

पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला-राजसमन्द (राज.)